

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-140/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का प्रभार रहित अवधि दिनांक-25.07.2022 से 02.01.2023 तक को निम्नवत विनियमित किया जाता है:-

- i. दिनांक-25.07.2022 से 28.8.2022 - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में।
- ii. दिनांक-29.08.2022 से 20.09.2022 तक - बिहार सेवा संहिता के नियम-220 (घ) टिप्पणी 1(i) के आलोक में मातृत्व (गर्भपात) अवकाश
- iii. दिनांक-21.09.2022 से 30.12.2022 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में।
- iv. दिनांक-01.01.2023 से 02.01.2023 तक - असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-140/2024- 116(2) पटना, दिनांक 23/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/अधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।